GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO.67 TO BE ANSWERED ON THE 8TH FEBRUARY, 2022

BENEFICIARIES OF PM JAN AROGYA YOJANA

67 # SHRI RAM CHANDER JANGRA:

Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY WELFARE** be pleased to state:

- (a) the details of beneficiaries of Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY) under Ayushman Bharat Yojana at present, State-wise;
- (b) whether Government is facing any kind of difficulty in the implementation of the said scheme, if so, the measures which are being considered to be taken to deal with the same, the details thereof; and
- (c) whether there is any scheme under consideration by Government which could provide the benefits of the said scheme to the deprived beneficiaries by conducting a nationwide survey again, if so, the details thereof?

ANSWER THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR MANSUKH MANDAVIYA)

(a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 67* FOR 8TH FEBRUARY, 2022

(a) to (c) Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan ArogyaYojana (AB-PMJAY) launched on 23.09.2018 is the world's largest insurance/assurance scheme. The scheme provides health coverage of Rs. 5 lakh per beneficiary family per annum to approximately 10.74 crore poor and vulnerable families identified on the basis of select deprivation and occupational criteria in rural and urban areas respectively as per SECC database of 2011. State/UT-wise details of beneficiary families are at Annexure-I.

National Health Authority (NHA) has initiated steps for setting up of Joint Review Mission (JRM) across the country to function as a valuable feedback mechanism for the scheme to make it more people friendly.

NHA is working along with State Health Agencies (SHAs) for improving awareness amongst beneficiaries, expanding healthcare providers network, timely settlement of claims of empanelled hospitals and augmenting capacities of SHAs and District Implementation Units to ensure more effective stewardship of the scheme at the grass-root level. Details of other measures taken to improve implementation of the scheme are at Annexure-II.

PMJAY's beneficiary database is defined. States/UTs have the flexibility to add their own beneficiaries in alliance with AB-PMJAY at their own cost.

State / UT	Number of Eligible Families under PMJAY
A&N Islands	21,399
Andhra Pradesh	54,67,524
Arunachal Pradesh	88,611
Assam	26,96,996
Bihar	1,08,11,015
Chandigarh	23,678
Chhattisgarh	36,50,364
Delhi	5,88,426
DNHⅅ	26,342
Goa	36,431
Gujarat	43,83,948
Haryana	15,45,936
Himachal Pradesh	4,78,985
Jammu And Kashmir	5,97,801
Jharkhand	28,05,753
Karnataka	62,09,073
Kerala	22,03,589
Ladakh	10,904
Lakshadweep	1,465
Madhya Pradesh	83,57,257
Maharashtra	83,63,664
Manipur	2,73,250
Meghalaya	3,47,013
Mizoram	1,94,859
Nagaland	2,33,328
Odisha	61,00,093
Puducherry	1,03,434
Punjab	14,64,802
Rajasthan	58,95,363
Sikkim	39,738
Tamil Nadu	77,70,928
Telangana	26,11,424
Tripura	4,90,964
Uttar Pradesh	1,16,84,453
Uttarakhand	5,23,536
West Bengal	1,11,89,727
Total	10,72,92,073

Note:

- 1. State of West Bengal withdrew from the scheme in January, 2019.
- 2. State of Telangana joined the scheme in May, 2021.
- 3. State/UT of Odisha and Delhi are not implementing the scheme.

Details of measures taken to improve implementation of AB-PMJAY:

Demand Side Interventions

- i. NHA signed Memorandums of Understanding (MoUs) with leading solutions providers such as CSC E-Governance Services India Limited (CSC) and UTI Infrastructure Technology and Services Limited (UTIITSL) to issue Ayushman cards free of cost to SECC 2011 beneficiary undergoing verification for the first time. State/UTs were encouraged to adopt such MoUs for non-SECC beneficiaries in their States.
- ii. "AapkeDwarAyushman" (ADA) is a key initiative of NHA that is implemented in mission mode across 10 State/UTs, including focus States such as Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh. The campaign leveraged a grassroots network of healthcare workers, frontline workers, Panchayati Raj institutions, village level agents from CSC and UTIITSL to mobilize and verify nearly 4.2 crore beneficiaries.
- iii. NHA has reached out to Central Government ministries implementing welfare schemes (UjjwalaYojana, AwasYojana) using SECC 2011 database. This was done to use the updated databases of such welfare schemes for better targeting of potential AB-PMJAY beneficiaries.
- iv. NHA has taken steps to increase avenues for Ayushman card generation by onboarding additional agencies for card generation and card approval.
- v. Integration of pan-India Information, Education and Communication (IEC) campaigns of AB-PMJAY with other national flagship schemes.
- vi. NHA has launched the concept of AyushmanMitra a rewards and recognition program to transform PMJAY into a Jan Andolan by creating avenues for societal stakeholders to come forward and assist the scheme beneficiaries.

Supply Side Interventions

- i. NHA has developed the concept of a beneficiary facilitation agency to increase the participation of empanelled public hospitals by streamlining the implementation of PMJAY at such hospitals and ensuring adequate attention to AB-PMJAY beneficiaries.
- ii. A dedicated "Hospital Operations" unit has been formed at NHA to engage with healthcare providers and increase their participation under the scheme.
- iii. A focused approach is followed for empanelling majority of 100-bedded hospitals and top corporate hospitals under AB-PMJAY.
- iv. Timely settlement of claims is one of the key drivers to encourage participation of empanelled hospitals and thereby improve service delivery to beneficiaries. In this regard, NHA has taken several measures to expedite claims adjudication.

भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या :67* 08 फरवरी, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी

*67 श्री रामचंद्र जांगडाः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के लाभार्थियों का वर्तमान में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को उक्त योजना के कार्यान्वयन में कोई समस्या पेश आ रही है, यदि हाँ, तो उक्त समस्या को दूर करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार ऐसी किसी योजना पर विचार कर रही है जिससे दोबारा से राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कराके वंचित लाभार्थियों को उक्त योजना का लाभ प्रदान किया जा सके, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख एल. मांडविया)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 08.02.2022 के लिए निर्धारित राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 67* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) दिनांक 23.09.2018 को शुरू की गई थी, यह दुनिया की सबसे बड़ी बीमा / आश्वासन योजना है। यह योजना वर्ष 2011 के एसईसीसी डाटाबेस के अनुसार क्रमश: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चुनिंदा वंचना और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर पहचाने गए लगभग 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये प्रति लाभार्थी परिवार का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। लाभार्थी परिवारों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुलग्नक-। में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने इस योजना को और अधिक लोगों के अनुकूल बनाने के लिए एक मूल्यपूर्ण फीडबैक तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए देश भर में संयुक्त समीक्षा मिशन (जेआरएम) की स्थापना के लिए कदम उठाए हैं।

एनएचए लाभार्थियों के बीच जागरूकता बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क का विस्तार करने, पैनल में शामिल अस्पतालों के दावों का समय पर निपटान करने और एसएचए और जिला कार्यान्वयन इकाइयों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि जमीनी स्तर पर योजना का अधिक प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। स्कीम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए किए गए अन्य उपायों के ब्यौरे अनुलग्नक-॥ में दिए गए हैं।

पीएमजेएवाई के लाभार्थी डेटाबेस को परिभाषित किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी लागत पर एबी-पीएमजेएवाई के साथ अपने स्वयं के लाभार्थियों को जोड़ने की स्वतंत्रता है।

अनुलग्नक-।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमजेएवाई के तहत पात्र परिवारों की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	21,399
आंध्र प्रदेश	54,67,524
अरुणाचल प्रदेश	88,611
असम	26,96,996
बिहार	1,08,11,015
चंडीगढ़	23,678
छत्तीसगढ	36,50,364
दिल्ली	5,88,426
दादरा नगर हवेली और दमन दीव	26,342
गोवा	36,431
गुजरात	43,83,948
हरियाणा	15,45,936
हिमाचल प्रदेश	4,78,985
जम्मू और कश्मीर	5,97,801
झारखंड	28,05,753
कर्नाटक	62,09,073
केरल	22,03,589
लद्दाख	10,904
लक्षद्वीप	1,465
मध्य प्रदेश	83,57,257
महाराष्ट्र	83,63,664
मणिपुर	2,73,250
मेघालय	3,47,013
मिजोरम	1,94,859
नगालैंड	2,33,328
उड़ीसा	61,00,093
पुद्दुचेरी	1,03,434
पंजाब	14,64,802
राजस्थान	58,95,363
सिक्किम	39,738
तमिलनाडु	77,70,928
तेलंगाना	26,11,424
त्रिपुरा	4,90,964
उत्तर प्रदेश	1,16,84,453
उत्तराखंड	5,23,536
पश्चिम बंगाल	1,11,89,727
कुल	10,72,92,073

नोट:

- 1. पश्चिम बंगाल राज्य ने जनवरी, 2019 में इस योजना से अपना नाम वापस ले लिया।
- 2. तेलंगाना राज्य मई, 2021 में इस योजना में शामिल हुआ।
- 3. ओडिशा और दिल्ली राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र इस योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं।

एबी-पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों का विवरण:

<u>मांग पक्ष कार्यकलाप</u>

- i. एनएचए ने पहली बार सत्यापन करा रहे एसईसीसी 2011 लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड मुफ्त में जारी करने के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी) और यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (यूटीआईआईटीएसएल) जैसे प्रमुख समाधान प्रदाताओं के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने राज्यों में गैर-एसईसीसी लाभार्थियों के लिए ऐसे समझौता ज्ञापनों को अंगीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- ii. "आपके द्वार आयुष्मान" (एडीए) एनएचए की एक प्रमुख पहल है जिसे बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे फोकस राज्यों सिहत 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में मिशन मोड में लागू किया गया है। इस अभियान ने लगभग 4.2 करोड़ लाभार्थियों को जुटाने और सत्यापित करने के लिए सीएससी और यूटीआईआईटीएसएल के स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, पंचायती राज संस्थानों, ग्राम स्तर के एजेंटों के जमीनी स्तर के नेटवर्क का लाभ उठाया।
- iii. एनएचए ने एसईसीसी 2011 डेटाबेस का उपयोग करके आरोग्य योजनाओं (उज्ज्वला योजना, आवास योजना) को लागू करने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालयों से संपर्क किया है। यह संभावित एबी-पीएमजेएवाई लाभार्थियों के बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए ऐसी आरोग्य योजनाओं के अद्यतन डेटाबेस का उपयोग करने के लिए किया गया।
- iv. एनएचए ने कार्ड सृजन और कार्ड अनुमोदन के लिए अतिरिक्त एजेंसियों को ऑनबोर्ड करके आयुष्मान कार्ड सृजन के अवसरों को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं।
- v. एबी-पीएमजेएवाई के अखिल भारतीय सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियानों का अन्य राष्ट्रीय फ्लैगशिप योजनाओं के साथ एकीकरण।
- vi. एनएचए ने सामाजिक हितधारकों को आगे आने और योजना के लाभार्थियों की सहायता करने के अवसर सृजित करके पीएमजेएवाई को जन आंदोलन में बदलने के लिए एक पुरस्कार और मान्यता कार्यक्रम-आयुष्मान मित्र की अवधारणा शुरू की है।

आपूर्ति पक्ष कार्यकलाप

- i. एनएचए ने ऐसे अस्पतालों में पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करके और एबी-पीएमजेएवाई लाभार्थियों पर पर्याप्त ध्यान सुनिश्चित करके पैनल में शामिल जन अस्पतालों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक लाभार्थी सुविधा एजेंसी की अवधारणा विकसित की है।
- ii. स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ जुड़ने और योजना के तहत उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए एनएचए में एक विशिष्ट "अस्पताल संचालन" इकाई का गठन किया गया है।
- iii. एबी-पीएमजेएवाई के तहत अधिकतर 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों और शीर्ष कॉर्पोरेट अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के लिए एक संकेंद्रित दृष्टिकोण का पालन किया जाता है।
- iv. पैनल में शामिल अस्पतालों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और इस प्रकार लाभार्थियों को सेवा प्रदानगी में सुधार करने के लिए दावों का समय पर निपटान प्रमुख कारकों में से एक है। इस संबंध में, एनएचए ने दावों के अधिनिर्णय में तेजी लाने के लिए कई उपाय किए हैं।

श्री रामचंद्र जांगड़ा: सभापित महोदय, करोड़ों लोगों को 'प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना' के तहत आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिला है और उनकी जिंदगी बची है। इस 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत जो बहुत से लोग लाभ के पात्र थे, वे सर्वेक्षण में किसी कमी के कारण वंचित रह गए। भारत सरकार द्वारा 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत दस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पुनः सर्वेक्षण का अभियान चलाया गया है। मेरे हरियाणा प्रदेश में बहुत से लोग इस लाभ से वंचित रह गए हैं। सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस स्कीम को सर्वेक्षण कराकर अन्य राज्यों में बढ़ाने की कोई योजना है?

डा. मनसुख मांडिवया: माननीय सभापित महदोय, 'आयुष्मान भारत योजना' देश के गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति प्रधान मंत्री जी का जो commitment है, उसमें से निकली हुई योजना है। बीमारी तो कभी किसी को पूछ कर नहीं आती है, वह अमीर के यहां भी आती है और गरीब के यहां भी आती है। जब अमीर के यहां कोई बीमारी आती है, तो उसकी जेब में पैसा होता है, लेकिन जब किसी गरीब के यहां बीमारी आती है, तो चूंकि जेब में पैसा नहीं होता है, इसलिए वह अपना इलाज नहीं करवा सकता था, कई बार ऑपरेशन भी नहीं करवा सकता था। परिवार के मुखिया, जो घर का संचालन करते थे, जिनकी कमाई का एक ही व्यक्ति और माध्यम हो, ऐसे व्यक्ति के परिवार में नहीं रहने से परिवार के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता था। ऐसी स्थिति में 'आयुष्मान भारत योजना' का implementation प्रधान मंत्री जी ने किया।

सभापित महोदय, दुनिया में सात-आठ साल पहले अमरीका में ओबामा केयर योजना चलाई गई थी। ओबामा केयर योजना में दस करोड़ लोगों को health security दी गई थी और दुनिया में उसकी वाहवाही हुई थी। माननीय सभापित महोदय, यह दस करोड़ फैमिली यानी पचास करोड़ लोगों के लिए health security योजना है। आज तक तीन करोड़ लोग इस योजना के तहत अपना ट्रीटमेंट करवा चुके हैं। इससे गरीब लोगों के परिवार के सदस्यों का इलाज हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है और उनका परिवार सशक्त हुआ है।

श्री रामचंद्र जांगड़ा: मान्वयर, इसमें जो डेटाबेस है, वह 2011 की जनगणना का लिया गया है, जिसमें अभी तक टोटल जो सर्वेक्षण में आए हैं, वे लगभग 15 करोड़, 73 लाख आए हैं, जो कि हिंदुस्तान की जनसंख्या के हिसाब से काफी कम है। मैं मंत्री महोदय से यही जानना चाहता हूं कि क्या इसके पुन: सर्वेक्षण की कोई योजना है, ताकि जो लाभ के पात्र हैं और जो वंचित हैं, उनको दोबारा लिया जा सके?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.